न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान विशाल सिंह बनाम पृथ्वी सिंह आदि
वाद संख्या 34 वर्ष 2020

निर्णय दिनांक :–....18/06/2025.....

1. विशाल सिंह पुत्र रिड़मल सिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू

– वादी –

बनाम

1. पृथ्वी सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
2. ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा तारानगर जरिये प्रबंधक
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
1. श्री रतन चाचाण एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री अनुराग चौधरी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 02
3. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 03 तहसीलदार तारानगर।

—:निर्णय:—

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि ख.नं. 165 तादादी 0.0991 हैक्टेयर रोही ग्राम रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 के खातेदार काश्तकार है। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न वाद की जाकर वादाधार वाद बनाया जा रहा है। उक्त कृषिभूमि ही विवादित कृषि भूमि है। कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातदेारी की भूमि चली आ रही है जिसमें आपसी पारिवारिक व्यवस्था के मुताबिक अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे हैं लेकिन उक्त विवादित कृषि भूमि का आपसी कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी व काश्तकारी की चली आ रही है। विवादित कृषि भूमि पर पक्षकारान वाद अपनी सुविधानुसार आपसी पारिवारिक व्यवस्था के मुताबिक काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन विवादित कृषिभूमि का खाता सामलाती रहने से व राजस्व रकम अदा करने के वक्त आपसी तनाजा रहता है व वरवक्त काश्त भी तनाजा रहता है। ऐसी सूरत में हर सह खातेदार अपने–अपाने हिस्से की कृषि भूमि को सही एवं सुचारू ढंग से काश्त नहीं कर पाते हैं व काश्त के समय हर समय मनमुटाव व आपसी झगड़े होने की सम्भावना रहती है। ऐसी सूरत वादी की ओर से अपने हिस्से की खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रकम कायम करवाई जाकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि करवाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का मु आजीविका का साधन कृषि है। अगर वादी का अलग से खाता विभाजन किया जाकर अलग राजस्व रकम कायम की जाकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि नहीं करवाई जाती है त

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

अपनी कृषि भूमि को सही एवं सुचारू रूप से काश्त नहीं कर पाता है जिससे उसके व उसके बाल बच्चों की आजीविका चलनी मुश्किल हो गई है। ऐसी सूरत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक वादी के हिस्से की कृषि भूमि का अलग से खाता विभाजन किया जाकर तथा राजस्व रकम कायम की जाकर अलग से राजस्व अंकन करवाया जाना हर सूरत में न्यायोचित एवं उचित है।

वादी द्वारा समस्त प्रतिवादीगण को दिनांक 15.07.2020 को बमुकाम रेड़ी व तारानगर में विवादित कृषि भूमि का वादी का खाता अलग विभाजित करवाया जाकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने बाबत कहा तो वें ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। अतः यही तारीख वाद कारण व वादाधार वाद है जो वादी को बमुकाबले प्रतिवादी बमुकाम तारानगर में हासिल हुई है। विवादित कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के यहां से के.सी.सी. ऋण लेकर गिरवी रखा हुआ है। ऐसी सूरत में उन्हें पक्षकार वाद बनाया गया है। वादी इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं कर रहा है।

इस प्रकार वादी ने वादपत्र पेश कर कृषि भूमि ख.नं. 165 तादादी 2.0991 हैक्टेयर रोही ग्राम रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू में अपने हिस्सा भूमि का खाता अलग से विभाजित करने का अनुतोष चाहा।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रथम तारीख पेशी 04.09.2020 को वकालातनामा की अन्डरटेकिंग ली गयी लेकिन बार–बार अवसर दिया जाने पर भी वकालातनामा पेश नहीं किया गया। अन्त में दिनांक 25.10.23 उक्त अधिवक्ता अनुपस्थित रहें तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं भी उपस्थित नहीं आया। अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण वादी के हिस्से तक की भूमि के खाता विभाजन का होने से राज्यहित व बैंक हित प्रभावित नहीं होता। दावा का कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नहीं की गई। वकील वादी ने साक्ष्य नहीं करायें।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए दावा प्राथमिक डिकी करने एवं विवादित भूमि का खाता विभाजन मंगवाने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार होने से वह अपन हक हिस्सा तक की कृषि भूमि का खाता विभाजन अलग से विभाजित कराने का अधिकारी है। दावा का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है। वाद पूर्ण सुनवाई कर निर्णय दिनांक 01.10.2024 द्वारा प्राथमिक डिकी किया गया प्रार्थमिक डिक्री किया जाकर कृषिभूमि 165 तादादी 2.0991 हैक्टेयर रोही ग्राम रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू मे से वादी के हक हिस्सा तक की कृषिभूमि का खाता अलग से विभाजित करने का आदेश पारित किया गया। प्राथमिक डिक्री पालना हेतु तहसीलदार तारानगर को तहरीर जारी की गई।

प्राथमिक डिकी दिनांक 01.10.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव को वकील वादी ने सही होना स्वीकार किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम डिकी करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव वादी के हक हिस्ससा तक की भूमि का है जिसे तहसीलदार तारानगर ने मौके पर जाकर तैयार किया है। विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने से वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

Jayendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

–:: **आदेश** ::–

अतः वाद वादी बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषिभूमि खेत खसरा नं. 165 तादादी 2.0991 हेक्टेयर रोही मौजा रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू का खाता विभाजन बरूये विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार किया जाता है

(1)विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम रेड़ी तहसील तारानगर के खसरा नं. 165 मीन 1.0495 हेक्टेयर भूमि जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग बैंगनी से दर्शाया गया है, वादी संख्या 1 विशाल सिंह पुत्र रिड़मल सिंह का पूर्ण हिस्सा, जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्से में रहेगी।

(2)विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम रेड़ी तहसील तारानगर के खसरा नं. 165 मीन 1.0496 हेक्टेयर भूमि जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग हरा से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वी सिंह पुत्र शैतान सिंह का पूर्ण हिस्सा, जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

(3)जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 18/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)